उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय परिसर, शांतिपुरम् (सेक्टर–एफ), फाफामऊँ

इलाहाबाद – 211 013

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की सम्पन्न विद्या परिषद् के आपातकालीन बैठक की कार्यवृत्त

बैठक संख्या	:	23
दिनाँक	:	02 जून, 2010
समय	:	पूर्वाह्न 11:00 बजे
स्थान	:	कुलपति कक्ष

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनाँक 02 जून, 2010 को पूर्वाह्न 11:00 बजे विश्वविद्यालय के कुलपति कक्ष में सम्पन्न विद्या परिषद् की आपातकालीन 23वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1	प्रो नागेश्वर राव, कुलपति, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	अध्यक्ष
2.	डॉ. एस.पी. गुप्ता, निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
3.	डॉ. बी.एन. सिंह, निदेशक, मानविकी विज्ञान विद्या शाखा उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
4.	डॉ. एम.एन. सिंह, निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
5.	डॉ. टी.एन. दुबे, पुस्तकालयाध्यक्ष, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
6.	डॉ. नागेन्द्र यादव, उपाचार्य, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
7.	श्री अच्छे लाल, प्रवक्ता, मानविकी विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
8.	श्रीमती मीरा पाल, प्रवक्ता, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य

9. श्री एम.एल. कनौजिया — सदस्य सचिव
कुलसचिव,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके :

(1) डॉ. सी.एल. क्षेत्रपाल,
(पूर्व कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय)
निदेशक, सेण्टर फॉर बायो मेडिकल मैग्नेटिक रिसोनेन्स,
स.जी.पी.जी.आई., लखनऊ

(2) प्रो. विनय पाठक,
कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी, नैनीताल

(3) प्रो. ए.के. गुप्ता,
(पूर्व निदेशक, जे.के. इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय)
फ्लैट नं. – 113, अशोक नगर, दुर्गा पूजा पार्क के पास,
विनायक इन्क्लेव, इलाहाबाद

(4) प्रो. पी.आर. अग्रवाल,
स्कूल ऑफ मैनेजमेण्ट स्टडीज,
एम.एन.एन.आई.टी., इलाहाबाद

(5) डॉ. जोखन सिंह,
(पूर्व कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय)
द्वारा – श्री राजेश सिंह, ब्रोचा हास्टल,
ए–ब्लाक, वार्डन क्वार्टर,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

(6) डॉ. (श्रीमती) इति तिवारी,
उपाचार्य, समाज विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व कुलपति जी ने सभी सम्मानित सदस्यों का अभिनन्दन एवं स्वागत किया तथा उनके सहयोग की अपेक्षा की।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 23..01

NCTE द्वारा दिनाँक 31 अगस्त, 2009 को निर्गत अधिसूचना में बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु उल्लिखित अर्हता के अनुसार विश्वविद्यालय के अध्यादेश में सुस्पष्ट करने पर विचार।

कार्य परिषद् की दिनाँक 22 मई, 2010 की बैठक के संकल्प संख्या 45.07 (च) "विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश 2002 एवं बी.एड. अध्यादेश में परिवर्तन हेतु समिति की संस्तुतियों पर विचार" के अन्तर्गत निम्नवत निर्णय लिया गया था :–

"निश्चय किया गया कि समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किया जाय। समिति की अनुशंसा को कार्य परिषद् की बैठक की तिथि से प्रभावी किये जाने का प्रस्ताव भी कार्य परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत है।"

"विद्या परिषद् की उक्त अनुशंसा को विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने यथावत स्वीकार किया तथा निश्चय किया कि उक्त संशोधन दिनाँक 22 मई, 2010 से प्रभावी होगा।"

उक्त निर्णयानुसार अध्यादेश में संशोधन का प्रस्ताव महामहिम कुलाधिपति कार्यालय को प्रेषित किया जा चुका है **(संलग्नक – 01)**। सूच्य है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद" (NCTE) द्वारा निर्गत दिनाँक 31 अगस्त, 2009 के अधिसूचना जिसे निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा द्वारा संज्ञान में लाया गया है, में मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम प्रणाली से चलाये जाने वाले बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश की अर्हता में परिवर्तन किया गया है जिसके अनुसार स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर 55% अंक की बाध्यता की गयी है। अध्यादेश में संशोधन हेतु प्रेषित सम्बन्धित प्रस्ताव में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा निर्गत अधिसूचना में उल्लिखित अर्हता के अनुसार सुस्पष्ट करने हेतु **संलग्नक – 01** के स्थान पर अध्यादेश में तत्सम्बन्धी संशोधन का नया प्रस्ताव **(संलग्नक – 02)** विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रश्नगत बिन्दु पर विद्या परिषद् ने विचार किया।

"निश्चय किया कि दिनाँक 15 मई, 2010 की विद्या परिषद् के बैठक के संकल्प संख्या 22.10 के अन्तर्गत बी.एड. प्रवेश अर्हता के सम्बन्ध में अध्यादेश में परिवर्तन के प्रस्तावित प्रावधान (संलग्नक – 01) के स्थान पर अध्यादेश में संशोधन का नया प्रस्ताव (संलग्नक – 02) स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किया जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 23.02

विश्वविद्यालय के शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश की सुविधा दिये जाने हेतु विश्वविद्यालय के परिनियमावली में प्राविधान करने पर विचार

विश्वविद्यालय के अध्यापकों को प्रदेश के अन्य राज्य विश्वविद्यालय की भाँति ग्रीष्मावकाश एवं शीतावकाश नहीं दिया जाता रहा है । इस सम्बन्ध में कार्य परिषद् की दिनाँक 29 मार्च, 2010 की बैठक के निर्णय के अनुसरण में प्रकरण पर सम्यक विचार करने हेतु कुलपति जी ने एक समिति गठित की। यहाँ यह उल्लेख करना है कि कार्य परिषद् की दिनाँक 13 नवम्बर, 2008 की बैठक के **पूरक कार्यसूची बिन्दु संख्या 03 "विश्वविद्यालय के अध्यापकों की एक वर्ष (सत्र) में 31 दिन अर्जित छुट्टी पूर्ण वेतन पर दिये जाने के सम्बन्ध में विचार"** में निर्णयानुसार इस विश्वविद्यालय के अध्यापकों को राज्य विश्वविद्यालय की भाँति ग्रीष्मावकाश एवं शीतकालीन अवकाश नहीं दिये जाने से विश्वविद्यालय के अध्यादेश में वर्णित कर्मचारियों को देय अर्जित अवकाश की भाँति अध्यापकों को अर्जित अवकाश 01 जुलाई, 2009 से अनुमन्य किये जाने हेतु परिनियम 6.66 में संशोधन का प्रस्ताव शासन/महामहिम कुलाधिपति जी को प्रेषित किया गया था लेकिन शासन/महामहिम कुलाधिपति कार्यालय से स्वीकृति से सम्बन्धित कोई शासनादेश प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रकरण दिनाँक 22–05–2010 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया गया था जिसमें निम्न निर्णय लिया गया :–

"निश्चय किया कि शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश की व्यवस्था को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार करते हुए परिनियमावली में सम्मिलित किया जाय।"

विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमावली 2002 के अध्याय 06 में सम्मिलित/प्राविधान करने हेतु प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रश्नगत बिन्दु पर विद्या परिषद् ने विचार किया।

"निश्चय किया कि शिक्षकों के ग्रीष्मकालीन अवकाश के प्रावधान को विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमावली 2002 के अध्याय 06 में परिनियम 6.81 के रूप में प्रख्यापित करने के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किया जाय।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

(एम.एल. कनौजिया)
कुलसचिव

संलग्नक-01

The Ordinances Governing the B.Ed. Distance Mode Two Year Programme

Present Description	Proposed Amendment	Justification
VI Eligibility for Admission		
1.A candidate who is working teacher in a pre-primary/primary/middle/junior high school/secondary/senior secondary/higher secondary school located within the geographical boundaries of Uttar Pradesh. having at least two years teaching experience and possesses Bachelor's degree of any University in India incorporated by law for the time being in force or any equivalent degree/certificate recognized by the University may be admitted to the B.Ed. of the University.	1.The eligibility norms for admission to B. Ed. Distance Mode Two year Programme of the University shall be such as decided by the NCTE from time to time. विश्वविद्यालय के मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति से प्रदान की जाने वाली द्विवर्षीय बी.एड. पाठ्यकम हेतु अर्हता सम्बन्धी मानक ऐसी होगी जैसा कि समय–समय पर एन.सी.टी.ई द्वारा निर्धारित की जायेगी।	Vide notification dated 31 August 2009, the NCTE has amended the norms and standards of teacher education programmes.

2. Only those candidates will be eligible for admission to the Bachelor of Education (B.Ed.) Degree Course who have opted either two subjects at graduation level or one subject at intermediate level out of the following-Hindi, English, Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Mathematics, History, Geography, Political Science, Psychology, Sociology and Economics.	2. Only those candidates will be eligible for admission to the Bachelor of Education (B.Ed.) Degree Course who have opted either two subjects at graduation level or one subject at graduation level and one subject at intermediate level out of the following- Hindi, English, Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Mathematics, History, Geography, Political Science, Psychology, Sociology, Economics, Commerce, Agriculture and their allied subjects as decided by the University/NCTE from time to time. केवल वही अभ्यर्थी बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे जो या तो स्नातक स्तर पर दो विषय चयनित किये हों या स्नातक स्तर पर एक विषय चयनित किये हों और इण्टरमीडिएट स्तर पर निम्न में से एक विषय का चयन किया हो–हिन्दी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, कृषि और इनके सहबद्ध विषय जैसा कि समय–समय पर विश्वविद्यालय/एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित की जायेगी।	Commerce, agriculture and other emerging allied subjects need to be included in the programme.

Ordinances for the Degree of Bachelor of Education (B.Ed.)

VI. Eligibility for Admission

Present Provision	Amendment	Justification
(1) A candidate who is working teacher in a pre-primary/ primary/ middle/ junior high school/ secondary/ senior secondary/ higher secondary school located within the geographical boundaries of Uttar Pradesh, having at least two years teaching experience and possesses Bachelor's degree of any university in India incorporated by law for the time being in force or any equivalent degree/ certificate recognised by the University may be admitted to the B.Ed. course of the university.	(1) (a) (i) Graduation / Post- Graduation Degree with fifty five percent marks. (ii) Two years teaching experience in a Government or Government recognized school. (b) A State University will admit only those candidates who are working in schools located in the territorial jurisdiction assigned to it by the University Act.	Amendment has been made as per NCTE Gazette Notification made on August 31, 2009.
(2) Only those candidates will be eligible for admission to the Bachelor of Education (B.Ed.) Degree Course who have opted either two subjects at graduation level or one subject at graduation level and one subject at intermediate level out of the following - Hindi, English, Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Mathematics, History, Geography, Political Science, Psychology, Sociology and Economics	(2) Only those candidates will be eligible for admission to the Bachelor of Education (B.Ed.) Degree Course who have opted either two subjects at graduation level or one subject at graduation level and one subject at intermediate level out of the following - Hindi, English, Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Mathematics, History, Geography, Political Science, Psychology, Sociology, Economics, Commerce, Agriculture and their allied subjects as decided by the University/ NCTE from time to time.	Commerce, Agriculture and other emerging allied subjects need to be included in the programme.
(3) The university will choose only those departments/ colleges as study centres for running B.Ed. course which are already approved by the National Council for Teacher Education for B.Ed. and will not run a such B.Ed. (Distance mode course) of any other university.	(3) Only following category of institutions shall qualify to become the Study Centre :- Existing Teacher Training institutions recognized by NCTE for offering the same programme in face to face mode and having all the requisite infrastructure and staff as per NCTE norms. Institutions having offered the relevant teacher training course for at least five years durations Institutions declared as Study Centre for one course / programme of a University shall not be the Study Centre for any other programme of the same or any other University	NCTE Gazette Notification, 2009
(4) The candidates for the course shall be admitted in accordance of the score obtained in the B.Ed. admission test organised by the university. The reservation policy of the State Government shall be followed for providing opportunities of upliftment to the SC/ ST/ OBC candidates as well as for other categories of applicants.	(4) The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the State Government.	Based on NCTE Gazette Notification, 2009
(8) Not Existing	(8) Notifications issued by NCTE from time to time will be applicable.	

CHAPTER VI
Teachers of the University
(Section 26)

	Present Provision	Amendment	Justification
6.81	Not Existing	**VACATION** *(i)* Sixty days of vacation in a calendar year during the months of May/June or November/December is admissible to teachers who have worked atleast for one year in the University. Vacation can be availed of either in one spell of two months or in two spells of one month each during the above months. *(ii)* If teachers are detained during vacations, they will be given the facility of earn leave in the ratio of 1:3	Based on provisions made in the Ordinance of IGNOU. At present no summer/winter vacation is provided to the teachers of the university while summer vacation of sixty to seventy days are provided in the state universities. In IGNOU sixty days vacation is admissible for the teaching staff